पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण

डॉ0 स्वाति कुमारी*

वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था में महिला आरक्षण की उपयोगिता एवं प्रासांगिकता है। सदियों से दोषपूर्ण सामाजिक अव्यवस्थाओं की शिकार महिलाओं के कल्याण हेतु, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिये एवं महिला अत्याचारों पर लगाम कसने हेतु महिला आरक्षण की बात की जाती है लेकिन हमने कभी यह सोचा है कि क्या आरक्षण मिलने मात्र से महिलाओं की स्थिति सुधर जायेगी या उनके प्रति हो रहे अत्याचारों में कमी आयेगी।

हमारे पुरुष प्रधान समाज ने हजारों वर्षो से वगैर किसी महिला आरक्षण के ऐसी महान नेत्रियाँ प्रदान की है जिन्होने समाज कल्याण मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। प्राचीन काल से ही सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्तरों पर महिलाओं को राजनैतिक कियाकलापों से दूर रखा गया है। आधुनिक काल में समानता एवं समाजवाद के प्रभावों के परिणामस्वरूप कुछ हद तक महिलाओं के प्रति .ष्टिकोण में उदारता देखी गयी। इसके फलतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महिलाओं ने राजनीति में दिलचस्पी दिखाई। राष्ट्रीय स्तर पर महान नेत्रियों जैसे एनीबेसेन्ट, सरोजिनी नायडू, अरूणा आसफअली, मैडम भीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी एवं क्षेत्रीय स्तर पर रूकमणी बाई, भवानी बाई, पार्वती बाई, अनसुईया बाई, दुर्गा बाई एवं कमला चट्टोपाध्याय आदि महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित व प्रभावित किया एवं इन महिलाओं को किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नही पड़ी।

महिलाओं के इस राजनीतिक रूझान के 100 वर्षो बाद भी महिलाओं की भूमिका नगण्य है। दुनिया की आधी आबादी होने के बावजूद भी राजनैतिक संरचनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अतः महिलाओं की राजनैतिक संरचनाओं के अन्दर तथा राजनैतिक संरचनाओं के बाहर राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये राजनीतिक आरक्षण की नीति अपनायी गयी। समय–समय पर गठित होने वाली सरकारों एवं बुद्धजीवियों तथा समाचार पत्रों ने इस बात पर जोर

***पी–एच0 डी0 इतिहास विभाग, बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा**

दिया कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के साथ–साथ महिलाओं को भी राजनैतिक प्रशिक्षण दिया जाये और उन्हें भी राजनैतिक जिम्मेदारी सौपी जाये अतः राजनैतिक आरक्षण का उद्देश्य अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है।

महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण प्रायः नकारात्मक ही रहा है अतः आरक्षण के माध्यम से ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती थी। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। राजनीतिक आरक्षण से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक शुरूआत हुई है। महिला आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्रदान करना है।

महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को शोषण, प्रताड़ना एवं अन्याय से मुक्ति दिलाना है एवं महिलाओं को आर्थिक भागीदारी प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर पुरूषों के नियंत्रण से मुक्त कराया जाये।

पंचायतीराज संरचनाओं में महिला आरक्षण का एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि महिलाएँ संगठित होकर महिलाओं के हितों में सकारात्मक सोच विकसित करेंगी तथा उनके हितों के प्रति नीति निर्माण में सहयोगी बनेंगी।

महात्मा गाँधी ने अपने राजनैतिक एवं स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह जोर देकर कहा था कि राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के बिना स्वतंत्रता संघर्ष को सार्थक नही बनाया जा सकता, उन्होंने आगे कहा कि महिलाएँ राष्ट्र की बुनियाद है उनका कमजोर होना राष्ट्र का कमजोर होना है।

महिला आरक्षण का उद्देश्य है कि इस आरक्षण के द्वारा समाज में महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य विभेद घटेगा, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, पंचायतो एवं स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के परिणाम बताते है कि महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। इसके साथ ही राजनैतिक अपराधीकरण कम हुआ है एवं रोटेशन पद्धति से अब एक ही परिवार तक सीट सीमित नही रहेगी बल्कि इसका लाभ समाज में सभी वर्ग के लोगों को प्राप्त होगा।

महिला आरक्षण का उद्देश्य है कि इस व्यवस्था से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं सामाजिक कुरीतियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा एवं यौन उत्पीड़न आदि में सुधार होगा लेकिन वास्तव में ये कार्य केवल वही महिलाएं सही ढंग से कर पायेंगी जो शिक्षित है। महिला आरक्षण के माध्यम से यह भी कदम उठाया जा सकता था कि स्थानीय सार्वजनिक कार्यो में महिलाओं के विचारों को जानने तथा उन्हें आवश्यक भूमिका प्रदान करने में सहायता मिलेगी, इससे समन्वित एवं संतुलित विकास के अवसर बढेंगे। इन सभी उद्देश्यों से प्रेरित होकर पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।

ऐतिहासिक परिदृश्य के माध्यम से भी यदि देखा जाये तो महिलाओं की राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति उचित नही रही हैं एवं उन्हें पारिवारिक स्तर पर लेने वाले निर्णयों से हमेशा दूर रखा गया, आर्थिक आजादी उन्हें नहीं मिली, धर्म–कर्म शिक्षा–दीक्षा की स्वतंत्रता भर से महिलाओं के व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी महिलाओं को बहुमत नहीं मिला उनके कर्तव्यों को निर्धारित करते समय बच्चों के पालन पोषण, पति तथा सास ससुर की सेवा तक सीमित रखा गया। श्रम का बंटवारा कर उन्हें घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया। अतः उनका व्यक्तित्व उभरा ही नहीं घर की चहार दीवारी तक सीमित कर दिया गया। मध्यकाल में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। बाल विवाह, पर्दाप्रथा, सती प्रथा जैसे नियमों ने उनकी भूमिका को और सीमित कर दिया तरह तरह के अमानवीय प्रतिबंधों ने महिलाओं को कमजोर कर दिया पुरूषों के बराबर दर्जा उन्हें नहीं दिया गया।

ब्रिटिश काल में उदारवाद, उपयोगितावाद, मानवतावाद, निरपेक्षतावाद आदि गुणों के विकास के कारण तथा पुनर्जागरण के प्रभावो ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। अब महिलाओं के प्रति नीति में परिवर्तन लाने की हलचल बुद्धिजीवियों में बढ़ती गयी। सती निरोधक अधिनियम, महिला पुनर्विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम आदि के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सु.ढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया।

स्वंतत्रता आन्दोलन के दौरान महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी महात्मागांधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं से निरंतर अपील की, परिणामस्वरूप इन्दिरागांधी, सरोजिनी नायडू, अरूणा आसफ अली, भवानी बाई. अनसुईया बाई. रूकमणी बाई, पार्वती बाई आदि अनेक महिलाएँ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में उतरी एवं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया एवं महिला वर्ग को संगठित किया। मध्यप्रदेश में भी राजनीतिक जागरूता पैदा करने के लिए महिला हितकारिणी सभा की स्थापना की गयी। महाराष्ट्र में तथा बंगाल में ब्रह्मबोधिनी तथा तत्वबोधिनी पत्रिकाएँ प्रकाशित की गयी इस तरह परिस्थिति एवं परिवेश तेजी से बदलने लगे।

फिर भी भारतीय राजनीति में पुरूषवाद बहुत ही हावी रहा। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गठित की गयी अंतरिम सरकार 1946 में एक भी महिला को किसी समिति में नहीं रखा गया। इसी तरह 1946 में संविधान निर्माण करने वाली किसी भी कमेटी में एक भी महिला शामिल नहीं की गयी। स्वतंत्रता के बाद गठित पहली लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। देशी एवं क्षेत्रीय स्तर पर विजय लक्ष्मी पण्डित, इन्दिरागांधी, सरोजिनी नायडू, मोहसिना किदवई आदि बहुत कम महिलाएँ ही राजनीति में सक्रिय योगदान के लिए आयी।

धीरे–धीरे नारीवादी आन्दोलनों ने महिलाओं के पक्ष में मांगे उठायी। उनके हितों की मांग की जाने लगी। एक फण्ट अब खुल गया। राजनैतिक सामाजिक सहभागिता की ओर ध्यान दिया जाने लगा अब मांग की जाने लगी की प्रान्तीय एवं केन्द्रीय राजनैतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। परिणाम स्वरूप 21वीं0 शताब्दी में भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग तेजी से आगे बढ़ीं । 20 वीं सदी के अंतिम दशक में राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया, एवं पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में सरकार आगे आयी और महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण दे दिया गया। यह नारीवादी आन्दोलन की मांग का सकरात्मक परिणाम है जो भारतीय राजनीति में स्पष्ट हो रहा है, इस आरक्षण व्यवस्था को लोकसभा राज्य सभा और विधान सभाओं में भी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है 33 प्रतिशत महिला आरक्षण इन संस्थाओं में होना है। इसके लिए 84 वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेन्डिग है। इस आरक्षण विधेयक से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। आरक्षण से महिलाओं का राजनैतिक सहभागिता बढेगी। नीति निर्माण में महिला वैचारिकी को भी शामिल किया जा सकेगा। यह एक सार्थक प्रयत्न होगा। राष्ट्रीय विकास के संबंध में महिलाओं की भागेदारी बढ़ेगी। महिलाएँ घरों की चहार दीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगी।

आरक्षण से मौलिक अधिकारों में निहित समानता के अधिकारों को महत्व मिलेगा। समानता से महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि होगी। महिलाओं का उत्पीड़न रूकेगा। देश की लगभग आधी आबादी की स्थिति में सुधार इसी उददेश्य को ध्यान में रखकर महिला आरक्षण की योजना बनायी गयी है।

महिला आरक्षण से महिलाओं में आत्म निर्भरता का विकास होगा एवं महिलाएँ स्वयं अपने हितों का संरक्षण कर सकेंगी। आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाना भी है। लोकसभा एवं विधान सभा दोनों जगहों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन महिलाओं का इन दोनों जगहों में प्रतिनिधित्व न के बराबर है। महिला आरक्षण से महिलाओं को विधान सभा एवं संसद में पहुँचने के पर्याप्त अवसर मिलेगें।

महिलाओं को पुरूष के समान सम्मानपूर्ण जीवन जीने की आजादी के लिए समाज की सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। साथ ही साथ पुरूषों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक है, यह महिलाओं की राजनीतिक भागेदारी से ही संभव है। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए महिला आरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

महिला आरक्षण से लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होगी। एक बडी जनसंख्या का राष्ट्र की मुख्यधारा से कटा होना, एक खण्डित लोक तंत्र को प्रकट करता है। यद्यपि कि महिलाओं को आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आजादी, आवगमन की आजादी, सब कुछ मिली हुई है लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की शक्ति एवं महत्व उभर कर नहीं आया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है इनकी राजनीति से दूरी। राजनीतिक जागरूकता एवं आरक्षण के माध्यम से यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इसी उददेश्य को ध्यान में रखकर महिला आरक्षण की योजना बनाई गयी है।

पंचायतीराज प्रणाली के अन्तर्गत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। इससे इन संस्थाओं में उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला लेकिन इन संस्थाओ में इनके पति रिश्तेदारों या अन्य पुरुष सदस्य हावी हैं। इनकी यह भूमिका एक डमी सदस्य, सरपंच के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय नीति के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है एवं इनकी कोई राय उभरकर नहीं आ पाती है। उच्च राजनैतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से उनकी डमी की छवि टूटेगी एवं वे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी और राजनीतिक विचार धारा को प्रभावित कर सकेंगी।

महिला आरक्षण से जाति धर्म तथा नातेदारी के परंपरागत आधार को कमजोर करने में मदद मिलेगी गाँव से लेकर समग्र राष्ट्र तक विकास की एक नयी धारा बहेगी। इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकेगा। महिलाओं को पारिवारिक एवं सरकारी क्षेत्रों में महत्व मिलने के साथ–साथ राजनैतिक क्षेत्रों में भी महत्व मिलेगा। उपेक्षित महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिलेगा एवं उनकी आर्थिक सामाजिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।

यद्यपि महिला सशक्तिकरण के प्रयास बहुत पहले से ही आरम्भ हो चुके हैं परन्तु आज जिस बात को स्वीकार्यता मिली है वह यह है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और उनकी राजनीति में भागीदारी के बिना सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि मानवता, राष्ट्रीयता तथा विश्व का भी सही दिशा में विकास असंभव है। हालाँकि महिला सशक्तिकरण के सभी पहलू एक–दूसरे से अन्तरसम्बन्धित है, परन्तु यदि हम विश्व में महिलाओं की स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ एक तरफ महिलाओं का प्रतिशत आर्थिक, शैक्षिक, व्यवसायिक क्षेत्र में बढ़ा है वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। वर्तमान (2012) में पूरे विश्व की व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 18 प्रतिशत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अनिल कुमार सिंह राजस्थान में पंचायती राज, वाणी वालटरी एक्शन नेटवर्क इण्डिया, 1983
2. अरूण श्रीवास्तव भारत में पंचायती राज, रावत पब्लिशर्स, जयपुर, 1994
3. आशा कौशिक नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2004
4. आशुतोष वर्सने केम्बिज स्टडीज इन कम्प्रेटिव पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डेवलपमेन्ट एण्ड दि कन्ट्री साइड अरबन रूरल स्ट्रगल इन इण्डिया, नई दिल्ली, फाउन्डेशन बुक, 1995
5. आशुतोष श्रीवास्तव विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था, सनराइज पब्लिकेशन्स. दिल्ली, 2004
6. आर० के० वर्मा बेसिस ऑफ पोलिटिकल लीडरशीप : ए स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एण्ड पिपुल्स पर्सेप्सन, अमर प्रकाशन दिल्ली, 1991
7. आर० अग्निहोत्री आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याए एव समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1987